394

निग/2837/II/15

498

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

Rs.20/-

लाल जी तनय कंचन साहू निवासी ग्राम बेतरिया, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0 -   --- निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन -   ---गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्रकरण क्र. 37/निगरानी/09-10, आदेश दिनांक 26.3.2010 ,

===

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन 1959 ई. ।

===

आज दिनांक 15-07-15 को ... किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2:- यह कि विवादित भूमि आवेदक के पक्ष मे म0प्र0 कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग की जारही दखल रहित भूमि विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के अन्तर्गत भूमिहीन कृषक होने के नाते व्यवस्थापन का पट्टा सन 1984 के पूर्व से कब्जा होने से आदेश व्यवस्थापन का दिया गया था । जो विधिवत था, व है ।

3:- यहकि सिंगरौली जिले मे बन्दोवस्त होने से भूमि नं0 111 क्षेत्रफल 2.00 एकड़ के नये नम्बर हुये ,इस नये नम्बर होने से वास्तविक भूमि पर आवेदक स्वत्वाधिकारी एवं अधिपत्यधारी चला आया, लेकिन बन्दोवस्त

XXXIX(a)-BR(H)-11

394

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–2837-II / 15** जिला–सिंगरौली

लालजी साहू / शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0के0 देव पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 37 / निगरानी / 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम. शर्मा), सदस्य	